



बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग



समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय

आँगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन हेतु

मार्गदर्शिका-2011

समेकित बाल विकास सेवाएँ अन्तर्गत आँगनबाड़ी सेविका और सहायिका के चयन हेतु मार्गदर्शिका 2011 :-

1. उद्देश्य :-

वर्ष 2006 में समेकित बाल विकास योजनान्तर्गत आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु मार्गदर्शिका निर्गत की गयी थी। उसके अनुपालन में हो रही व्यवहारिक कठिनाईयों के निवारण एवं कुछ विन्दुओं को और स्पष्ट करने के उद्देश्य से वर्ष 2010 में पूर्व की मार्गदर्शिका को संशोधित किया गया।

सेविका/सहायिका की चयन की प्रक्रिया में जटिलता, सेविका/सहायिका के काफी पदों के रिक्त रहने के कारण आँगनबाड़ी केन्द्रों के क्रियाशील करने में आ रही बाधा, सेविका/सहायिका के चयन के संबंध में हो रहे विलम्ब तथा विभिन्न जिलों से सेविका/सहायिका चयन के संबंध में मांगे जा रहे मार्गदर्शन को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने चयन की प्रक्रिया को सहज, सरल, पारदर्शी तथा जवाबदेह बनाने के लिए पूर्व निर्गत मार्गदर्शिका को रद्द करते हुए इस मार्गदर्शिका को निर्गत होने की तिथि से प्रभावकारी बनाने का निर्णय लिया है। इसके प्रभावकारी होते ही इसके प्रावधानों के अनुसार चयन संबंधी कार्य किये जायेंगे। इससे हुए किसी विचलन को सरकार गंभीरतापूर्वक लेंगी तथा इसके जिम्मेवार अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

2. परिभाषाएं :- इस मार्गदर्शिका में जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो-

- (क) "वार्ड की आम सभा" से अभिप्रेत है वार्ड में स्थित आँगनबाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र के सभी व्यस्क सदस्यों की आम सभा।
- (ख) "प्रधान सचिव" से अभिप्रेत है राज्य के समाज कल्याण विभाग के प्रधान सचिव अथवा सचिव।
- (ग) "आँगनबाड़ी केन्द्र" से अभिप्रेत है आई.सी.डी.एस. अंतर्गत बाल विकास परियोजना के क्षेत्राधीन गाँव/टोलों में स्वीकृत आँगनबाड़ी केन्द्र।
- (घ) "आँगनबाड़ी सेविका" से अभिप्रेत है समेकित बाल विकास सेवा योजना के आँगनबाड़ी केन्द्र के लिए सेविका के कार्य हेतु चयनित सामाजिक कार्यकर्ता।
- (ङ) "आँगनबाड़ी सहायिका" से अभिप्रेत है समेकित बाल विकास सेवा योजना के आँगनबाड़ी केन्द्र के लिए सहायिका के कार्य हेतु चयनित सामाजिक कार्यकर्ता।
- (च) "निदेशक" से अभिप्रेत है राज्य के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस. निदेशालय के निदेशक।

- (छ) "मुखिया" से अभिप्रेत है बिहार पंचायत राज्य अधिनियम 1993 के उपबंधों के अधीन किसी ग्राम पंचायत का निर्वाचित मुखिया।
- (ज) "बाल विकास परियोजना पदाधिकारी" से अभिप्रेत है भारत सरकार/राज्य सरकार के द्वारा अधिसूचित समेकित बाल विकास परियोजना के भारसाधक पदाधिकारी
- (झ) "लाभार्थी" से अभिप्रेत है समेकित बाल विकास सेवा योजना कार्यक्रम के तहत अधिसूचित बाल विकास परियोजना के सीमा क्षेत्र के अंतर्गत रहनेवाले लोग।
- (ञ) "कोरम" (Quorum) से अभिप्रेत है:-
- (i) लाभुकों के संदर्भ में मैपिंग पंजी में दर्ज व्यस्क महिला एवं पुरुष की संख्या के 20% लाभुकों की उपस्थिति।
- (ii) चयन समिति के सदस्यों में से दो तिहाई की उपस्थिति।

3. ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु समिति :

ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के चयन हेतु चयन समिति निम्न प्रकार गठित की जायेगी :-

- | | |
|--|-------------|
| (i) संबंधित वार्ड सदस्य (ग्रामीण क्षेत्र)
नगर पंचायत/नगर परिषद/नगर निगम के वार्ड आयुक्त (शहरी क्षेत्र)
(यदि पोषक क्षेत्र में दो वार्ड समाहित हो तो पोषक क्षेत्र के बहुलता वाले वार्ड सदस्य चयन समिति के अध्यक्ष रहेंगे।) | - अध्यक्ष |
| (ii) संबंधित वार्ड के पंच (ग्रामीण क्षेत्र के लिए) | -उपाध्यक्ष |
| (iii) संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी | -सदस्य सचिव |
| (iv) अनुसूचित जाति अथवा पिछड़ी जाति का एक सदस्य, जिसकी न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक पास होनी चाहिए (लाभान्वितों में से वार्ड की आम सभा द्वारा सर्वसम्मति से मनोनीत) | -सदस्य |
| (v) एक महिला सदस्य(लाभान्वितों की वार्ड की आम सभा द्वारा मनोनीत) | -सदस्य |
| (vi) संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा मनोनीत अनु0 जाति/अनु0 जनजाति के एक अधिकारी | -सदस्य |

टिप्पणी:-

1. शहरी क्षेत्रों के लिए यह समिति पाँच सदस्यों की होगी क्योंकि शहरी क्षेत्रों में वार्ड के पंच (सदस्य नं0-2) नहीं होते।

2. चयन हेतु चयन समिति में वार्ड सदस्य की अनुपस्थिति में वार्ड के पंच आम सभा की अध्यक्षता करेंगे (ग्रामीण क्षेत्र के लिए)। अध्यक्ष/उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में वार्ड की आम सभा के सदस्यों द्वारा आम सभा के दिन उनके द्वारा चयनित कार्यकारी अध्यक्ष के तत्वाधान में आम सभा संपन्न होगी।
3. बाल विकास परियोजना पदाधिकारी प्रत्येक चयन के लिए वार्ड की आम सभा के बैठक की लिखित सूचना सात दिन पूर्व प्रस्तावित अध्यक्ष/उपाध्यक्ष को देंगे तथा उसकी प्राप्ति रसीद रिकार्ड के रूप में कार्यालय में संधारित करेंगे। साथ ही आम सभा की सूचना संबंधित पंचायत कार्यालय, प्रखंड कार्यालय, बाल विकास परियोजना कार्यालय, नगर पंचायत, नगर परिषद तथा नगर निगम के कार्यालयों, आँगनबाड़ी केन्द्र तथा सार्वजनिक स्थल के नोटिस बोर्ड पर 7 दिन पूर्व चिपकायी जायेगी।

4. आँगनबाड़ी सेविका चयन हेतु अर्हता :-

- 4.1 **शैक्षणिक योग्यता :** सेविका चयन हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मैट्रिक उत्तीर्ण होगी। मैट्रिक के समकक्ष अन्य योग्यताओं को उसी स्थिति में मान्यता दी जायेगी जबकि उसे मानव संसाधन विकास विभाग द्वारा पंचायत शिक्षक नियोजन हेतु मान्यता दी गई हो।
- 4.2 चयन प्रक्रिया में बाहुल्य वर्ग की अनिवार्यता नहीं रहेगी। सभी वर्गों से मेधा सूची के अनुसार चयन किया जायेगा।
- 4.3 अभ्यर्थी को भारत का नागरिक होना चाहिए।
- 4.4 सेविका पद की रिक्ति के विज्ञापन के प्रकाशन के वर्ष की प्रथम जनवरी को न्यूनतम उम्र सीमा 18 वर्ष तथा अधिकतम उम्र सीमा 40 वर्ष होगी।
- 4.5 सेविका को संबंधित पोषक क्षेत्र का स्थायी निवासी होना अनिवार्य होगा। इसके लिए सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र साक्ष्य माना जायेगा।
- 4.6 आँगनबाड़ी केन्द्र के पोषक क्षेत्र में न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता का उम्मीदवार उपलब्ध न रहने की स्थिति में उक्त आँगनबाड़ी केन्द्र के निकटतम टोला/वार्ड परिधि में, जहाँ निर्धारित शैक्षणिक योग्यता का अभ्यर्थी उपलब्ध हो, से चयन की प्रक्रिया अपनायी जायेगी।
- 4.7 आँगनबाड़ी सेविका उस गाँव की बहु होनी चाहिए। अविवाहित महिला का चयन सेविका के पद पर नहीं किया जायेगा। यदि उस टोले/गाँव की बेटा स्थायी रूप से माँ के यहाँ निवास करती है, उनका नाम मतदाता सूची में दर्ज है तथा चुनाव आयोग का फोटो प्रमाण पत्र तथा अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र (जो छः माह पूर्व से पहले का निर्गत न हो) उपलब्ध है तो उनके चयन पर भी विचार किया जाएगा।

- 4.8 जनप्रतिनिधियों की पत्नी/बहू/रिश्तेदार इस पद के लिये अयोग्य होंगी। (रिश्तेदार से अर्थ है— पत्नी, बहू, बहन, ननद, भौजाई, पुत्री तथा इसके साथ महिला जनप्रतिनिधि के मामले में उनके पति के सहोदर भाई की पत्नी, पुत्री और बहू)।
- 4.9 संबंधित जिले में पदस्थापित सरकारी/अर्द्धसरकारी सेवकों की पत्नी/बहू/रिश्तेदारों का चयन सेविका पद पर नहीं किया जायेगा। (रिश्तेदार से अर्थ है— पत्नी, बहू, बहन, ननद, भौजाई, पुत्री)।
- 4.10 विभिन्न सरकारी सामग्रियों के विक्रेताओं (जैसे जन वितरण प्रणाली विक्रेता, घुमन्तु किरासन तेल के विक्रेता) की पत्नी/बहू/रिश्तेदार इस पद के लिए अयोग्य होंगे। (रिश्तेदार से अर्थ है— पत्नी, बहू, बहन, ननद, भौजाई, पुत्री)।
- 4.11 विकलांग उम्मीदवारों के लिए विकलांगता की स्थिति अधिकतम 40% तक होनी चाहिए। अभ्यर्थी को मानसिक रूप से विकलांग नहीं होना चाहिए तथा आँगनबाड़ी केन्द्र के कार्यों के लिए सक्षम होना चाहिये। सक्षम प्राधिकार से निर्गत विकलांगता प्रमाण पत्र मान्य होगा।
- 4.12 सेविका/सहायिका पदों के लिये अयोग्यताएं :
- किसी सक्षम न्यायालय द्वारा किसी अपराध के लिये दंडित अथवा दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत सक्षम न्यायालय द्वारा बंधपत्र दाखिल करने का आदेश प्राप्त उम्मीदवार अयोग्य होंगे।
 - किसी सक्षम न्यायालय से दिवालिया घोषित अभ्यर्थी इस पद के लिए अयोग्य होंगी।
 - सेविका एवं सहायिका आपस में किसी प्रकार से संबंधित/रिश्तेदार नहीं होंगी, यथा सास-बहू, / ननद-भाभी / देवरानी-जेठानी / माँ-बेटी / बहन-बहन / बहन-भतीजी / सगी-गोतनी आदि।
 - विभिन्न अनुशासनिक/जॉच कारणों से चयनमुक्त की गई सेविका/सहायिका पुनः चयन के लिए अयोग्य होंगी।

5. सेविका के लिए मेधा सूची का निर्धारण :-

- 5.1 मेधा सूची के निर्धारण में मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्तांक के प्रतिशत को आधार रखा जायेगा। परंतु ऐसी गणना के समय अतिरिक्त विषयों में प्राप्त अंकों को शामिल नहीं किया जायेगा।
- 5.2 इन्टर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए 7 (सात) बोनस अंक दिये जाएंगे तथा स्नातक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को 7 (सात) अतिरिक्त बोनस अंक दिये जाएंगे।

5.3 इसके अलावा सेविका के मेधा सूची के निर्धारण में निम्नांकित अतिरिक्त बोनस अंक दिये जाएंगे।

(क) विधवा/परित्यक्ता	—	7 अंक
(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति	—	7 अंक
(ग) विकलांग	—	5 अंक
(घ) सहायिका	—	5 अंक

5.4 उम्मीदवारों की एक मेधा सूची मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा में प्राप्त अंक के अनुसार सर्वप्रथम विहित प्रपत्र में तैयार की जाएगी। इसके बाद कंडिका 5.2 और 5.3 के अनुसार प्राप्त कुल बोनस अंकों को प्राप्त प्रदत्त अंक में जोड़कर सम्पूर्ण मेधा अंक निकालकर मेधा सूची विहित प्रपत्र 'ग' में तैयार की जाएगी एवं उसमें से सर्वाधिक मेधा अंक वाले उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। (मेधा सूची का विहित प्रपत्र अनुलग्नक 'ग' संलग्न)

5.5 कंडिका 5.4 के अनुसार तैयार मेधा सूची में दो या अधिक उम्मीदवारों के समान अंक की स्थिति में प्राथमिकता निम्न क्रम में दी जायेगी:-

1. विधवा
2. परित्यक्ता
3. विकलांग
4. सहायिका
5. अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति

टिप्पणी:-

विधवा उम्मीदवार (ससुराल/मायका में रह रही हैं) को अपने पति का मृत्यु प्रमाण पत्र तथा पुनर्विवाह नहीं करने संबंधी मुखिया/वार्ड सदस्य (शहरी क्षेत्र) का प्रमाण पत्र अनुलग्नक 'क' में जमा करना अनिवार्य होगा। इसी प्रकार परित्यक्ता उम्मीदवार को भी अपने परित्यक्ता होने का मुखिया/वार्ड सदस्य (शहरी क्षेत्र) से प्राप्त प्रमाण पत्र अनुलग्नक 'ख' में जमा करना होगा। अनुलग्नक 'क' एवं 'ख' वार्ड की आम सभा की तिथि से एक सप्ताह पूर्व जमा करना अनिवार्य होगा।

5.6 मेधा निर्धारण के संबंध में सभी प्रकार की आपतियों का निराकरण बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा मेधा सूची के प्रकाशन की तिथि से तीन दिन के अंदर कर सूचना जिला प्रोग्राम कार्यालय को दे दी जायेगी।

6. सहायिका के चयन हेतु अर्हता:-

6.1 सहायिका के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता सप्तम पास होगी।

6.2 अन्य सभी योग्यताएँ कंडिका 4.3 से 4.12 के समरूप होंगी।

7. सहायिका के लिए मेधा निर्धारण:-

7.1 आँगनबाड़ी सहायिका के रूप में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार का ही चयन किया जाएगा।

7.2 अनुसूचित जाति/जनजाति की एक से ज्यादा उम्मीदवार होने पर निम्न रूप से मेधा निर्धारण किया जायेगा:-

- (i) सर्वाधिक शैक्षणिक योग्यता वाले उम्मीदवार को प्रथम प्राथमिकता दी जाएगी और उसका चयन किया जाएगा।
- (ii) कंडिका 7.2 (i) की स्थिति में अगर दो या उससे अधिक उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यताएँ एक समान हों तथा कोई भी मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा पास न हो तब उम्मीदवारों को निम्न क्रम में प्राथमिकता देते हुए चयन किया जाएगा:-

1. विधवा
2. परित्यक्ता
3. विकलांग
4. उम्र में सबसे अधिक

टिप्पणी:- कंडिका 5.5 की टिप्पणी की शर्तें यहाँ लागू होंगी।

- (iii) कंडिका 7.2 (i) की स्थिति में अगर दो या दो से अधिक उम्मीदवारों की शैक्षणिक योग्यताएँ एक समान हों तथा ये मैट्रिक (अथवा उसके समकक्ष) या उससे उपर की (यथा इंटरमिडिएट, स्नातक इत्यादि), योग्यताएँ हो तब उम्मीदवारों की एक मेधा सूची बनायी जायेगी। इस मेधा सूची में मैट्रिक अथवा समकक्ष परीक्षा के प्राप्तांक प्रतिशत को आधार रखा जाएगा। परन्तु ऐसी गणना के समय अतिरिक्त विषयों में प्राप्त अंकों को शामिल नहीं किया जाएगा। इस प्रकार उम्मीदवारों की एक मेधा सूची तैयार की जाएगी तथा उसमें से सर्वाधिक मेधा अंक वाले उम्मीदवार का चयन किया जाएगा। मेधा सूची में दो या अधिक उम्मीदवारों के समान अंक होने की स्थिति में उम्मीदवारों को निम्न क्रम में प्राथमिकता देते हुए चयन किया जाएगा:-

1. विधवा
2. परित्यक्ता
3. विकलांग
4. उम्र में सबसे अधिक

टिप्पणी:- कंडिका 5.5 की टिप्पणी की शर्तें यहाँ लागू रहेंगी।

- 7.3 मेधा निर्धारण के संबंध में सभी प्रकार की आपतियों का निराकरण बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा मेधा सूची के प्रकाशन की तिथि से तीन दिन के अंदर कर सूचना जिला प्रोग्राम कार्यालय को दे दी जायेगी।

8. सेविका/सहायिका के लिए चयन की प्रक्रिया :-

- 8.1 किसी भी बाल विकास परियोजना में आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका की रिक्ति होने पर उसकी सूचना रिक्ति होने के एक सप्ताह के अंदर संबंधित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी संबंधित रिक्तियों को भरने के लिये राज्य के दो प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार पत्र में (यथा हिन्दुस्तान, दैनिक जागरण, प्रभात खबर, आज, राष्ट्रीय सहारा आदि) सात दिनों के अंदर विज्ञापन सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के माध्यम से प्रकाशित करवाने हेतु भेजेंगे तथा इसकी प्रति संबंधित आँगनबाड़ी केन्द्रों, सार्वजनिक स्थल, ग्राम पंचायत कार्यालय/नगर निगम, नगर पंचायत, नगर परिषद, प्रखंड कार्यालय, बाल विकास परियोजना कार्यालय के सूचना पट पर व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु चिपकायेगे। इसकी एक प्रति आई.सी.डी.एस. निदेशालय को भी भेजी जायेगी।
- 8.2 विज्ञापन प्रकाशित होने के पश्चात उम्मीदवारों द्वारा परिशिष्ट-1 में उल्लिखित विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र भर कर सूचना प्रकाशन की तिथि से एक सप्ताह के अंदर संबंधित बाल विकास परियोजना कार्यालय में जमा किया जाएगा। जमा किये गये आवेदन पत्रों की प्राप्ति रसीद बाल विकास परियोजना कार्यालय द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों को उपलब्ध कराई जाएगी तथा आवेदन पत्रों पर क्रमांक एवं प्राप्त होने की तिथि अंकित की जायेगी। यदि आवेदिका चाहे तो अपना आवेदन पत्र जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के कार्यालय में भी समर्पित कर सकती है। सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पत्रों की सूची बनाकर आवेदन पत्र के साथ आवेदन प्राप्त करने की निर्धारित तिथि के तीन दिनों के अंदर संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के कार्यालय में भेज देंगे। यदि आँगनबाड़ी सेविका के चयन हेतु एकल आवेदन प्राप्त होता है तो उसे विचारनीय मानते हुए चयन की कार्रवाई की जाएगी।
- 8.3 आवेदिका द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण पत्रों की छाया प्रति संलग्न की जाएगी। संबंधित प्रमाण पत्रों की मूल प्रति वार्ड की आम सभा में आवेदिका द्वारा दिखलाया जाना अनिवार्य होगा। साथ ही उम्मीदवारों को कागजातों के साथ वार्ड की आम सभा में उपस्थित होना अनिवार्य होगा। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी वार्ड की आम सभा में ऐसे प्रमाण पत्रों का विवरण कंडिका- 5 अथवा 7 के आलोक में विहित प्रपत्र अनुलग्नक 'ग' में मेधा सूची में अंकित करेंगी तथा ये प्रमाणित करेंगी कि उन्होंने मूल प्रमाण पत्रों का मिलान स्वयं कर लिया है और इसे सही/गलत पाया है। मूल प्रमाण

- पत्रों का सत्यापन निर्गत प्राधिकार से चयन के बाद कराया जायेगा एवं सत्यापन के उपरांत ही सेविका/सहायिका को मानदेय दिया जायेगा।
- 8.4** बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा सभी संबंधित आवेदकों को वार्ड की आम सभा की बैठक की सूचना की तिथि से अवगत कराना अनिवार्य होगा तथा सभी आवेदकों को निर्धारित वार्ड की आम सभा की तिथि को उपस्थित होना अनिवार्य होगा।
- 8.5** वार्ड की आम सभा की बैठक में अभ्यर्थी के स्वयं उपस्थित नहीं रहने अथवा अभ्यर्थी द्वारा अपने आवेदन पत्र के साथ आवश्यक प्रमाण पत्र की छाया प्रति संलग्न नहीं करने की स्थिति में उनके आवेदन पत्रों को इस आधार पर अस्वीकृत किया जा सकता है।
- 8.6** आवेदन प्राप्ति की निर्धारित तिथि समाप्त होने के पश्चात बाल विकास परियोजना कार्यालय द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की प्रविष्टि एक पंजी में की जायेगी। बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों के आधार पर कडिका 5 या 7 के अनुसार मेधा सूची तैयार की जाएगी। प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की प्रविष्टि पंजी तथा तैयार किये जाने वाली मेधा सूची में इसे तैयार करने वाले सभी कर्मों एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का सुस्पष्ट हस्ताक्षर करना अनिवार्य होगा। मेधा सूची आवेदन पत्र प्राप्ति की अंतिम तिथि से तीन दिनों के अंदर तैयार करना सुनिश्चित किया जायेगा। मेधा सूची को आँगनबाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत, सार्वजनिक स्थल, सामुदायिक भवन, बाल विकास परियोजना कार्यालय, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के कार्यालय के सूचना पट पर प्रकाशित कराया जाएगा तथा सभी उम्मीदवारों को इसकी प्रति निर्बंधित डाक/विशेष दूत से भेजी जाएगी।
- 8.7** मेधा सूची की एक प्रति निदेशालय एवं एक प्रति जिला प्रोग्राम कार्यालय को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। मेधा सूची तैयार होने के पश्चात बाल विकास परियोजना पदाधिकारी वार्ड सदस्य तथा वार्ड आयुक्त से विमर्श कर वार्ड की आम सभा की तिथि/समय निर्धारित कर इसकी सूचना जिला प्रोग्राम पदाधिकारी तथा लाभुकों को देगी। जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा सात दिनों के अंदर वार्ड की आम सभा की तिथि की सूचना आँगनबाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत, सार्वजनिक स्थल, सामुदायिक भवन, बाल विकास परियोजना कार्यालय तथा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी कार्यालय में इस प्रकार लगायी जायेगी कि कम-से-कम सात दिन एवं अधिकतम 14 दिन का समय उसके प्रचार-प्रसार के लिए मिले।
- 8.8** मेधा सूची के साथ-साथ मैपिंग पंजी को भी वार्ड की आम सभा की तिथि से एक सप्ताह पूर्व बाल विकास परियोजना कार्यालय के सूचना पट्ट, सार्वजनिक स्थल, आँगनबाड़ी केन्द्र, ग्राम पंचायत कार्यालय पर प्रकाशित कराया जाना अनिवार्य होगा तथा सेविका/सहायिका चयन हेतु आयोजित वार्ड की आम सभा के दिन मेधा सूची के साथ-साथ मैपिंग पंजी को भी आम सभा के समक्ष रखा जाना अनिवार्य होगा।

नोट:- मैपिंग पंजी के संबंध में अलग से विस्तृत निर्देश निकलने तक मार्गदर्शिका 2010 तथा इसके अलावा पूर्व में दिये गये दिशा निर्देश यथवत् रहेंगे।

- 8.9** लाभान्वितों के बीच वार्ड की आम सभा की तिथि/समय के प्रचार-प्रसार की जबावदेही महिला पर्यवेक्षक, वार्ड सदस्य तथा वार्ड आयुक्त की होगी।
- 8.10** वार्ड की आम सभा की तिथि एवं समय के संबंध में विधिवत सूचना वार्ड आयुक्त/वार्ड सदस्य/पंच को बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा दी जायेगी। बैठक की विधिवत सूचना ग्रामीण परियोजना के लिए ग्राम पंचायत कार्यालय, शहरी परियोजना के लिए अधिसूचित क्षेत्र समितियों/नगर पालिका/नगर निगम कार्यालय, सार्वजनिक स्थल, प्रस्तावित आँगनबाड़ी केन्द्र, परियोजना कार्यालय तथा प्रखंड कार्यालय में चिपका दी जायेगी, तथा संबंधित आँगनबाड़ी केन्द्र, के पोषक क्षेत्रों के लाभुकों के बीच डुगडुगी पिटवाकर/लाउडस्पीकर के द्वारा प्रसारित की जायेगी।
- 8.11** सेविका/सहायिका के चयन हेतु वार्ड की आम सभा की बैठक उसी टोला/गाँव/मोहल्ला के सार्वजनिक स्थल पर की जायेगी, जिस टोला/गाँव/मोहल्ला में आँगनबाड़ी केन्द्र स्थापित करने का प्रस्ताव है। यह आम सभा किसी व्यक्ति विशेष के घर/आँगन में आयोजित नहीं की जायेगी।
- 8.12** सेविका/सहायिका के चयन के लिए आयोजित वार्ड की आम सभा में केवल इस योजना के लाभुक परिवार के वयस्क सदस्य जिनके परिवार के मुखिया का नाम मैपिंग पंजी में दर्ज हो (महिला एवं पुरुष) भाग लेंगे। आम सभा की कारवाई के पूर्व बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा इस वार्ड की आबादी तथा वांछित कोरम (Quorum) की जानकारी उपस्थित लोगों को कराई जाएगी।

वार्ड की आम सभा की कार्यवाही पंजी में बैठक में उपस्थित सदस्यों की उपस्थिति निम्न प्रपत्र में संधारित की जायेगी :-

क्र० सं०	उपस्थित सदस्यों का नाम	पिता/पति	गाँव/टोला का नाम	जाति	हस्ताक्षर/अंगूठे का निशान
----------	------------------------	----------	------------------	------	---------------------------

वार्ड की आम सभा की कार्यवाही पंजी के प्रथम पृष्ठ पर कुल पृष्ठों का प्रमाणिकरण अनिवार्य रूप से किया जायेगा। बैठक में संबंधित आँगनबाड़ी केन्द्र के मैपिंग पंजी में दर्ज व्यस्क महिला एवं पुरुष की संख्या के न्यूनतम 20% के बराबर लाभुकों का उपस्थित होना अनिवार्य होगा तथा चयन समिति के 2/3 या उससे अधिक (4 या उससे अधिक) सदस्यों की उपस्थिति अनिवार्य होगी। यदि बैठक में उपरोक्त कोरम पूरा नहीं होता है तो बाल विकास परियोजना पदाधिकारी उस बैठक को अगले सप्ताह के उसी दिन और उसी समय के लिए स्थगित कर देंगे तथा इन सभी तथ्यों को वार्ड की आम सभा की कार्यवाही पंजी में सुस्पष्ट ढंग से उल्लिखित करेंगे। स्थगित बैठक के बाद की बैठक के लिए

लाभुकों का 10% तथा चयन समिति का 1/2 (3 या उससे अधिक सदस्य) कोरम अपेक्षित होगा। स्थगन के पश्चात दूसरी आम सभा की बैठक की सूचना का भी विस्तृत प्रचार-प्रसार उपरोक्त कंडिकाओं के अनुसार किया जाएगा।

- 8.13** वार्ड की आम सभा में बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा सभी आवेदिकाओं के आवेदन पत्र, शैक्षणिक योग्यता, अन्य अर्हताएँ एवं मेधा सूची के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी जायेगी। सभी अर्हताओं को पूर्ण करने वाली तथा मेधा सूची में सर्वोच्च अंक/स्थान पाने वाली अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। वार्ड की आम सभा की बैठक की कार्यवाही बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा दो प्रतियों में तैयार की जाएगी। बैठक की कार्यवाही में चयन समिति के सभी सदस्यों एवं बैठक में उपस्थित लाभुकों के परिवार के व्यस्क सदस्य का हस्ताक्षर प्राप्त करना अनिवार्य होगा। इसकी एक प्रति बाल विकास परियोजना कार्यालय तथा दूसरी प्रति जिला प्रोग्राम कार्यालय में रखी जाएगी।
- 8.14** उपर्युक्त तरीके से बुलाई गई बैठक में वार्ड की आम सभा द्वारा मेधा सूची के अनुसार तीन अभ्यर्थियों का एक पैनल तैयार किया जाएगा। इस पैनल से सर्वोच्च अंक/स्थान प्राप्त करने वाली अभ्यर्थी के चयन की घोषणा वार्ड की आम सभा में की जायेगी। बनाये गये पैनल की मान्यता तीन वर्षों के लिए होगी। इस बीच यदि किसी कारणवश चयनित सेविका/सहायिका का पद रिक्त होता है तो इसी पैनल से बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा चयन किया जाएगा। अनुमोदित पैनल में से सेविका/सहायिका का चयन बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा करते हुए इसकी सूचना जिला पदाधिकारी/जिला प्रोग्राम पदाधिकारी को दी जायेगी।
- 8.15** सेविका/सहायिका चयन की घोषणा के पश्चात बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा वार्ड की आम सभा की तिथि से आठवें दिन अथवा उसके पूर्व परिशिष्ट-2 में दिये गये प्रपत्र में चयन पत्र निर्गत कर दिया जायेगा।
- 8.16** चयन पत्र देने के पश्चात जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा संबंधित सेविका को आवश्यक प्रशिक्षण हेतु दो सप्ताह के अंदर भेजा जाएगा।
- 8.17** बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा प्रत्येक वार्ड की आम सभा की बैठक की विडियो रेकार्डिंग करायी जाएगी तथा उसकी एक प्रति जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के कार्यालय में तथा एक प्रति बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में सुरक्षित रखी जाएगी। यह प्रक्रिया शहरी क्षेत्र के लिए भी अपनायी जाएगी।
- 8.18** आँगनबाड़ी सेविकाओं को अपना कार्य ठीक से करने (विद्यालय पूर्व शिक्षा, टीकाकरण, आँगनबाड़ी केन्द्र का लेखा संधारण आदि) के लिए यह आवश्यक है कि उन्हें पढ़ने, लिखने, गणित आदि का ज्ञान हो। इसकी जाँच हेतु सभी सेविकाओं के लिए जिला स्तर पर एक परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। चयनित सेविकाओं को उक्त परीक्षा में सफल

होना अनिवार्य होगा। चयनित सेविका को परीक्षा देने के 2 मौके दिये जायेंगे। परीक्षा में उपस्थित न होने को एक मौका मानते हुए परीक्षा में असफल होना माना जायेगा। परीक्षा में निर्धारित न्यूनतम अंक प्राप्त न होने पर सेविका को चयनमुक्त कर दिया जायेगा। परीक्षा आयोजन के संबंध में विस्तृत निर्देश अलग से निर्गत किये जायेंगे।

9. चयन की अवधि :-

- 9.1 सेविका/सहायिका अधिकतम 55 साल की उम्र तक कार्य कर सकेंगी। 55 वर्ष की आयु प्राप्त करने के महीने में सेविका/सहायिका स्वतः सेवा-मुक्त हो जाएगी। इसके पश्चात् इस मार्गदर्शिका के अनुसार नई सेविका/सहायिका के चयन की कार्रवाई की जाएगी।
- 9.2 प्रथम बार में सेविका/सहायिका का चयन 3 वर्षों के लिए किया जायेगा। प्रत्येक तीन वर्ष पूर्ण होने के बाद कार्य संतोषजनक पाये जाने और कंडिका 4 अथवा 6 में वर्णित सारी अहर्ताओं को पूर्ण करने पर ही सेविका/सहायिका के चयन को जिला पदाधिकारी, जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की एक समिति द्वारा पुनः 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जायेगा। पूर्व से चयनित सेविका/सहायिका के लिए यह प्रक्रिया प्रति तीन वर्ष बाद अपनाई जायेगी।

10. चयन हेतु वार्ड की आम सभा से संबंधित शिकायत अथवा लंबित मामलों के निष्पादन की प्रक्रिया:-

- 10.1 सेविका/सहायिका के चयन में किसी प्रकार की अनियमितता पाये जाने पर संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी उत्तरदायी होंगे। यदि जाँच के क्रम में यह पाया जाता है कि बाल विकास परियोजना पदाधिकारी एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा जानबुझ कर चयन प्रक्रिया में अनियमितता बरती गयी है अथवा लापरवाही बरती गई है तो उनके विरुद्ध कठोर अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।
- 10.2 चयन संबंधी अनियमितता की शिकायत प्राप्त होने पर जिला पदाधिकारी द्वारा जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/अनुमंडल पदाधिकारी/अपर समाहर्ता/वरीय उप समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी से इसकी जाँच करायी जाएगी। जाँच परिवाद पत्र प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर पूरी कर ली जाएगी। जाँच पदाधिकारी जाँच समाप्त होने की तिथि से सात दिनों के अंदर जिला पदाधिकारी को अपना प्रतिवेदन सौंपेंगे। जिला पदाधिकारी परिवाद से संबंधित जाँच प्रतिवेदन प्राप्त होने की तिथि से 30 दिनों के अंदर संबंधित पक्षों को सुनकर अपना मुखर आदेश पारित करेंगे।
- 10.3 यदि जिला पदाधिकारी द्वारा सुनवाई के पश्चात यह पाया जाता है कि चयन में गंभीर अनियमितता बरती गयी है तो जिला पदाधिकारी ऐसी सेविका/सहायिका के चयन को रद्द कर सकेंगे तथा पैनल के द्वितीय अभ्यर्थी को चयन करने का निदेश देंगे। जिला

पदाधिकारी के आदेश के विरुद्ध 30 दिनों के अंदर प्रमंडलीय आयुक्त के समक्ष अपील दायर की जा सकेगी।

- 10.4 प्रमंडलीय आयुक्त संबंधित पक्षों को सुनकर 45 दिनों के अंदर मुखर आदेश पारित करेंगे। इस मामले में उनका आदेश अंतिम होगा। उनके आदेश के विरुद्ध कोई अपील दायर नहीं होगी।
- 10.5 सेविका/सहायिका द्वारा केन्द्र संचालन में अनियमितता बरते जाने का प्रतिवेदन प्राप्त होने पर जिला प्रोग्राम पदाधिकारी संबंधित पक्षों को सुनकर 30 दिनों के अंदर मुखर आदेश पारित करेंगे।
- 10.6 जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के उपर्युक्त आदेश के विरुद्ध 30 दिनों के अंदर जिला पदाधिकारी के समक्ष अपील दायर किया जा सकेगा। जिला पदाधिकारी संबंधित पक्षों को सुनकर 60 दिनों के अंदर मुखर आदेश पारित करेंगे। इस आदेश के विरुद्ध कोई अपील नहीं होगी।
- 10.7 राज्य स्तरीय जॉच दल द्वारा समर्पित प्रतिवेदन के आधार पर यदि समाज कल्याण विभाग/आई.सी.डी.एस. निदेशालय द्वारा संबंधित सेविका/सहायिका को चयन मुक्त करने का निर्देश रखा जाता है, तो संबंधित जिला प्रोग्राम पदाधिकारी संबंधित पक्षों को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अवसर देकर तथा उन्हें सुनने के पश्चात सेविका/सहायिका को चयन मुक्त करने का आदेश पारित करेंगे। यह आदेश 30 दिन में पारित करना होगा। ऐसे मामलों में कोई अपील नहीं होगी।
- 10.8 जिला प्रोग्राम पदाधिकारी जिन सेविका/सहायिका को ऑगनबाड़ी केन्द्र पर अनियमितता पाये जाने पर चयनमुक्त करेंगे, उसकी सूचना एवं रद्द किये गये केन्द्रों से संबंधित सभी सुसंगत अभिलेख यथा ऑगनबाड़ी सेविका/सहायिका के विरुद्ध समर्पित प्रतिवेदन जिसके आधार पर कार्रवाई प्रारंभ की गयी, निर्गत आरोप पत्र, सेविका/सहायिका के द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण, सुनवाई के क्रम में लिये गये/देखे गये साक्ष्य एवं जिला प्रोग्राम पदाधिकारी के द्वारा पारित आदेश उसी तिथि को निदेशालय/विभाग को फैंक्स या अन्य माध्यम से निश्चित रूप से भेजेंगे। विभाग एवं निदेशालय स्तर पर चयन मुक्त की गई सेविकाओं का 10 प्रतिशत रैंडम जॉच/समीक्षा कर देखा जायेगा कि चयन मुक्त करने का आदेश सही है या नहीं। यदि पाया जाता है कि जिला प्रोग्राम पदाधिकारी द्वारा पारित आदेश एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की अनुशंसा वाह्य जनित कारणों (Extraneous reasons) से प्रेरित है अथवा निहित स्वार्थ के लिये लिया गया है तो जिला प्रोग्राम पदाधिकारी एवं बाल विकास परियोजना पदाधिकारी के विरुद्ध निलम्बन और अन्य समुचित विभागीय कार्यवाही चलायी जाएगी।


10.9 चयन में गड़बड़ी तथा अन्य अनियमितताओं के मामले में जाँचोपरान्त कृत कारवाई/लिये गये निर्णय (किसी भी स्तर से) से वार्ड की आन सभा को अवगत कराने की व्यवस्था करने की जिम्मेवारी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी की होगी।

11. त्याग पत्र :-

11.1 संबंधित सेविका/सहायिका एक माह पूर्व इसकी सूचना देकर अपने पद से त्याग पत्र दे सकेंगी। यह त्याग पत्र लिखित रूप से संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी कार्यालय में भेजा जाना चाहिए। त्याग पत्र की सूचना प्राप्त होने पर संबंधित बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा एक सप्ताह के अंदर इसपर निर्णय लिया जायेगा। एक सप्ताह के अंदर बाल विकास परियोजना पदाधिकारी द्वारा कोई निर्णय नहीं लिया जाता है तो त्याग पत्र स्वतः स्वीकृत माना जाएगा।

11.2 त्याग पत्र देने वाली सेविका/सहायिका को पुनः बहाली का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होगा।

12. इस मार्गदर्शिका के निर्गत होने की तिथि से इस संबंध में पूर्व में निर्गत सभी आदेश/निदेश इस हद तक संशोधित समझे जायेंगे।



(संदीप पौण्डरीक)
सचिव
समाज कल्याण विभाग



ज्ञापांक : ICDS/30010/1-2011/2862

दिनांक : 04.11.2011


प्रतिलिपि :- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी जिला पदाधिकारी/सभी जिला प्रोग्राम पदाधिकारी/सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।


सचिव
समाज कल्याण विभाग

ज्ञापांक : ICDS/30010/1-2011/2862

दिनांक : 04.11.2011

प्रतिलिपि :- माननीय मंत्री, समाज कल्याण विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।


सचिव
समाज कल्याण विभाग



अनुलग्नक-‘क’

विधवा संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि मो० पति स्व०
..... ग्राम/टोला पंचायत प्रखंड
..... के पति का देहान्त दिनांक को हो चुका है। पति के मृत्यु
के उपरांत मो० हमारे पंचायत के ग्राम
में स्थायी रूप से निवास कर रही है तथा इन्होंने अभी तक पुनर्विवाह नहीं किया है।

मुखिया/वार्ड सदस्य (शहरी क्षेत्र) का हस्ताक्षर
एवं नाम
पंचायत/वार्ड सदस्य (शहरी क्षेत्र)
दिनांक

अनुलग्नक—'ख'

परित्यक्ता संबंधी प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती पिता
..... ग्राम/टोला प्रखंड का विवाह श्री
..... ग्राम/टोला प्रखंड के साथ वर्ष
..... में हुआ था। विवाहोपरांत श्री ने, विगत दो वर्षों से
अपनी पत्नी श्रीमती को अपने साथ न रखकर यूं ही छोड़ रखा
है या विधिवत तलाक दे दिया है। श्रीमती हमारे पंचायत
.... के ग्राम में परित्यक्ता महिला के रूप में जीवन-वसर कर रही है।
इनका अपने पति के साथ विगत दो वर्षों से कोई संबंध नहीं है।

मुखिया/वार्ड सदस्य (शहरी क्षेत्र) का हस्ताक्षर
एवं नाम
पंचायत/वार्ड सदस्य (शहरी क्षेत्र)
दिनांक

अनुलग्नक 'ग'

कार्यालय, बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,
 सेविका/सहायिका के चयन हेतु मेधा सूची का प्रपत्र
 जिला.....

रिक्त पद :-

पंचायत :-

वार्ड संख्या :-

केंद्र कोड संख्या :-

रिक्त पद :-

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पति/ससुर का नाम	पता	जाति	जन्म तिथि	भैरिंग पंजी क्रमांक	मैट्रिक/प्राप्ताक/पूर्णिक	मैट्रिक में प्राप्ताक का प्रतिशत	इंटर के लिए अतिरिक्त अंक		स्नातक के लिए अतिरिक्त अंक		वेटेज अंक						कुल मेधा अंक	अभ्युक्ति						
									पास करने की श्रेणी	बोनस अंक	पास करने की श्रेणी	बोनस अंक	विद्यवा/परिव्रकता	सहायिका	अनु०जाति/अनु०जनजाति	विकलांग	सहायिका	महिजा			14	15	16	17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								

मेधा सूची तैयार करने वाले
 सहायक का हस्ताक्षर

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी
 का हस्ताक्षर

ऑगनबाडी सेविका/सहायिका के पद हेतु आवेदन पत्र

(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011 देखें)

बिहार सरकार

समाज कल्याण विभाग

(समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय)

ऑगनबाडी सेविका/सहायिका के पद पर चयन हेतु आवेदन पत्र का प्रपत्र

सेवा में,

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी,

.....

.....

पासपोर्ट आकार का फोटो अच्छी तरह चिपकाएँ और उसपर नाम या हस्ताक्षर अंकित न करें।

ध्यातव्य: उपयुक्त रिक्त आयतों को नीले/काले बॉल प्वाइंट पेन से भरें।

- 01 (i) नाम (हिन्दी में)
- (ii) पति का नाम
- (iii) पति का व्यवसाय कृषि व्यवसाय नौकरी अन्य
- (iv) श्वसुर का नाम
- (v) श्वसुर का व्यवसाय कृषि व्यवसाय नौकरी अन्य
- (vi) जन्म तिथि (अंकों में) दिन महीना वर्ष
- (vii) दिनांक को उम्र वर्ष महीना दिन
- 02 (i) क्या आप भारत के नागरिक हैं? 1 - हाँ 2 - नहीं
- (ii) क्या आप बिहार राज्य के स्थायी निवासी हैं?
- (iii) क्या आप किस आरक्षित वर्ग से हैं? 1 - हाँ 2 - नहीं
- (iv) यदि हाँ, तो संबंधित आरक्षित वर्ग का कोड रिक्त आयत में भरें? 02 - अ0जा0 03 - अ0ज0जा0 04 - अ0पि0व0 05 - पि0व0
- (v) आपके संबंधित आरक्षित वर्ग के अधीन आपकी संबंधित जाति का नाम
- 03 (i) क्या आप शारीरिक रूप से विकलांग हैं? 1 - हाँ 2 - नहीं
- (ii) यदि हाँ, तो विकलांगता का स्वरूप अंकित करें 1 - नेत्रहीन 2 - बहरा, गूंगा 3 - शारीरिक विकलांग
- (iii) विकलांगता का प्रतिशत 1 - 40% से अधिक 2 - 40% से कम
- 04 मैपिंग पंजी में परिवार के मुखिया (पति/श्वसुर) का नाम/क्रमांक
- 05 वैवाहिक स्थिति - विधवा परित्यक्ता विवाहित
- 06 वार्षिक आय - आय का स्रोत- कृषि व्यवसाय नौकरी अन्य
- 07 क्या आप सजायाप्ता हैं अथवा आपने दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय 8 के अंतर्गत शांति या अच्छे व्यवहार के लिए कभी बंध पत्र दाखिल किया है? 1- हाँ 2- नहीं
- 08 दूरभाष संख्या (एस0टी0डी0 कोड सहित) मोबाइल संख्या

09 स्थायी पता

 पिन कोड
जिला राज्य

10 शैक्षणिक योग्यता :

उत्तीर्ण परीक्षा	संकाय विषय	उत्तीर्ण होने का वर्ष	उत्तीर्ण होने की श्रेणी	संस्थान/ विद्यालय	बोर्ड/विश्वविद्यालय	प्राप्तांक पुर्णांक	प्रतिशत
मैट्रिक							
इन्टरमिडिएट/ +2							
स्नातक (सामान्य/ प्रतिष्ठा)							

11. उम्मीदवार का एक शारीरिक पहचान चिन्ह :

12. महिला एवं बाल विकास संबंधी कार्य का अनुभव (यदि कोई हो तो) :

साथ में लगाए गये प्रमाण पत्रों की छायाप्रति की सूची (संबंधित पर सही का निशान लगावे)

मैट्रिक का प्रमाण पत्र मैट्रिक का अंक पत्र इन्टरमिडिएट/ +2 का अंक पत्र जाति प्रमाण पत्र
स्नातक का अंक पत्र विधवा प्रमाण पत्र परित्यगता प्रमाण पत्र विकलांगता प्रमाण पत्र

घोषणा

मैं एतद् द्वारा घोषणा करती हूँ कि इस आवेदन में ऊपर दी गई सूचनाएँ सत्य एवं सही हैं। मैंने किसी प्रकार की जानकारी को नहीं छुपाया है। फिर भी यदि ऊपर में दी गई कोई जानकारी गलत सिद्ध होती है, तो उसके लिए मैं जिम्मेवार होऊँगी और मैं मानती हूँ कि मेरे विरुद्ध वैधानिक/दण्डात्मक कार्रवाई करते हुए मेरे आवेदन को रद्द किया जा सकता है। इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। मैं विभाग के सभी नियमों का पालन करने के लिए तैयार हूँ।

स्थान : आवेदिका का हस्ताक्षर : हिन्दी में
दिनांक :

टिप्पणी - आवेदन पत्र के साथ सभी प्रमाण पत्रों/कागजातों की केवल छाया प्रति संलग्न करें। मूल प्रति वार्ड की आम सभा में प्रस्तुत करें।

(प्राप्ति रसीद)

श्रीमतीपति का नाम-.....से
पंचायत अन्तर्गत.....आँगनबाड़ी केन्द्र हेतु सेविका/सहायिका पद पर चयन के लिए विहित प्रपत्र में उल्लिखित प्रमाण पत्रों की छायाप्रति के साथ आवेदन प्राप्त किया गया, जिसकी प्राप्ति संख्याहै।

दिनांक-
स्थान-

प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर,
पूरा नाम एवं पदनाम

बिहार सरकार
समाज कल्याण विभाग
(समेकित बाल विकास सेवाएँ निदेशालय)
(सेविका/सहायिका चयन संबंधी मार्गदर्शिका-2011 देखें)

बाल विकास परियोजना कार्यालय

जिला

ज्ञाप सं०

दिनांक

चयन पत्र

1. श्रीमती पति..... जो ग्राम
.....
..... पो० की स्थायी
निवासी है, का आँगनबाड़ी सेविका/सहायिका के रूप में ग्राम/ टोला/ मुहल्ला.....
..... के आँगनबाड़ी केन्द्र (कोड सहित) के सेवा क्षेत्र के
लिए दिनांकको आयोजित वार्ड की आमसभा में लिये गये निर्णय के आलोक में चयन
किया जाता है।
2. आपका चयन सेविका/सहायिका के रूप में बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के आई.सी.डी.एस.
निदेशालय द्वारा निर्धारित चयन मार्गदर्शिका-2011 एवं आपके द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनाओं/ प्रमाण
पत्रों के आधार पर किया गया है। अगर भविष्य में उक्त सूचनाएँ/ प्रमाण पत्र गलत पाये जाते हैं या
आपके द्वारा अपने कर्तव्यों का संतोषप्रद ढंग से निर्वहन नहीं किया जाता है तो आपका चयन रद्द करते
हुए आपको कार्यमुक्त किया जा सकता है। कार्यमुक्त होने की स्थिति में पुनः उसी या अन्य किसी
आँगनबाड़ी केन्द्र पर सेविका/ सहायिका के पद के लिए आपका दावा मान्य नहीं होगा। सक्षम न्यायालय
द्वारा ऐसे मामलों में पारित आदेश के आलोक में पुनर्चयनित किया जा सकेगा।
3. सेविका/सहायिका के रूप में आपका चयन केन्द्र के सेवा क्षेत्र तक सीमित कार्य के लिए ही किया जा
रहा है।
4. यह एक सामाजिक कार्य है एवं आपका चयन महिलाओं एवं बच्चों के विकास हेतु सामाजिक कार्य करने
के लिए इच्छुक रहने संबंधी घोषणा के आलोक में किया जाता है। इस चयन एवं केन्द्र के संचालनार्थ
किये गये कार्य का दावा सरकारी नौकरी का आधार नहीं होगा।

बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का
नाम एवं हस्ताक्षर (मुहर के साथ)

.....